न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र नं. 11/2020

प्रार्थी :–

सुरेश पुत्र जयराम
जाति–जाट, निवासी–जायल, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मुनीया देवी पुत्री जयनारायण जाति–ब्राहमण निवासी–जायल
2. रामेश्वरलाल दत्तक पुत्र सुरजाराम जाति–जाट, निवासी–जायल
3. रामकुवांर पुत्र जयराम जाति–जाट, निवासी–जायल
4. नाबालिग अशोक पुत्र बस्तीराम सरंक्षक हीरादेवी पत्नि बस्तीराम जाति–जाट
5. नाबालिग सुनिल पुत्र बस्तीराम संरक्षक हीरादेवी पत्नि बस्तीराम जाति–जाट
6. ज्यानादेवी पत्नि जयराम जाति–जाट
7. हीरादेवी पत्नी बस्तीराम जाति जाट निवासीगण–जायल तह. जायल
8. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जायल
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका, प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
4. अधिवक्ता श्री हरिसिंह मांगलिया अप्रार्थी 3 से 7
5. अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
6. अप्रार्थी संख्या 9 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 03/03/2024

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 571 रकबा 2.4848 हैक्टैयर, ग्राम जायल, तहसील–जायल में स्थित है, जिसमें आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 570 रकबा 2.9218 हैक्टेयर, खसरा नं. 576 के धोरे के पास–2 आते–जाते रहे है, जो कि माफिक नजरी नक्शानुसार 15 फुट है, जिसकी चौड़ाई है। उक्त रास्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जबकि उक्त रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा

03/03/2024
सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 570 व 576 में से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिसके कारण बुआई करना तथा प्रार्थी के सहखातेदारी के में आना जाना संभव नहीं पा रहा है। साथ ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा नजदीकी व कम दूरी का रास्ता खसरा नं. 207 से ही लगता है। अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 571 में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेताय में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित किया जावे जिसके एवज में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थी करने को सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 9 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर, तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री बस्तीराम ढाका ने वकालात नामा पेश किया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 से 7 की ओर से वकील श्री हरिसिंह मांगलिया ने वकालातनामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया।

3. तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 को प्राप्त हुई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, प्रार्थी वर्तमान में खसरा नं. 574 की पश्चिमी सींव के सहारे–2 पगडण्डी से आवागमन करता रहा है, जो कि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 565 से जोडता है, जिसकी मौके पर दूरी 493 फीट (150.30) है, जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 570 की पूर्वी सींव एवं खसरा नं. 576 की पश्चिमी सींव पर वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जो कि गैर मुमकिन खसरा नं. 207 है एवं वांछित रास्ते की दूरी 342 फीट अर्थात 104.26 मीटर है मौके पर रास्ते निशानात् नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं है। वांछित रास्ते के रूप में खसरा नं. 570 में से 237.71 वर्गमीटर के लिए 11395.91 रू. तथा खसरा नं. 576 में से 273.71 वर्गमीटर के लिए 11395.91 रू. प्रतिकर राशि बनती है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज को अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन झूठे व बनावटी है मौके पर बताये गये स्थान पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए नजदीकी रास्ता अंगोर से लगता है प्रार्थी के खातेदारी खेत में जाने का कोई रास्ता खसरा नं. 576 की पश्चिमी माठ पर नही रहा है, आर.आई. हल्का की रिपोर्ट माफिक प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 574 की पश्चिमी माठ पर है। मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार मौके पर कोई रास्ता

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि की माठ भी अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 576 में प्रवेश लायक नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता अनुसार खसरा नं. 571 की पूर्वी माठ, खसरा नं. 576 की पश्चिमी माठ एक सीध में होने से प्रार्थी को खसरान . 575 के खातेदारी के खेत की उत्तरी पश्चिमी भाग में घुसे बिना या खसरा नं. 570 की पूर्वी दक्षिणी भूमि में प्रवेश किये बिना वांछित रास्ता संभव नहीं है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में आगे बताया कि मौका रिपोर्ट माफिक खसरा नं. 576 का रास्ता में रकबा 237.71 वर्गमीटर जाने पर अप्रार्थी को खसरा नं. 571 के पूर्वी या उत्तरी माठ पर रास्ता के बदले की भूमि दिया जाना संभव नहीं है, जबकि खसरा नं. 570 के खातेदार को भूमि के बदले भूमि दी जानी संभव है। अप्रार्थी के पास बहुत छोटा रकबा होने से रास्ता में भूमि देने से प्रार्थी खेत में आते जाते नुक्सान कराते हुये अप्रार्थी को परेशान करेगा। मौके पर खसरा नं. 576 का पश्चिमी भाग की माठ आंधिया चलते पूर्व की तरफ खिसक जाने स बिना नाप रास्ता देने से अप्रार्थी मुनियां के खेत में रास्ता कायम हो जायेगा व थौड़ा भाग 570 में बच जाने से अप्रार्थी मुन्नीया को भारी नुक्सान होगा। उक्त प्रकरण खातेदार 575, 570 के द्वारा मिलावट व सहयोग से पेश करना प्रतीत होता है, जो रास्ता खसरा नं. 570 की पूर्वी माठ पर दिया जाना संभव है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी खेत में जाने का खसरा नं. 574 की पश्चिमी माठ पर मौजूद होने से खारिज योग्य है।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब के साथ नजरी नक्शा पेश करते हुये, ऐतराज में बताया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी अपने खातेदारी के 571 में अप्रार्थी नं. 1 व 2 के खेत खसरा नं. 570 व 576 की माठ से होते हुये जाता हो बल्कि प्रार्थी अपने बढेर के खेत खसरा नं. 574 की पश्चिमी माठ के पास होते हुये खसरा नं. 571 में प्रवेश करता है। प्रार्थी का यह वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू है तथा खसरा नं. 574 के दक्षिण तरफ डामर सड़के लगती है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल में वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना तथा चालू होना बताया है। अप्रार्थी की खसरा नं. 570 व 576 आबादी के नजदीकी भूमि है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की रहवासीय के रूप में काम आ रही है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि खेत खसरा नं. 570, 576 के बढेर के हो, अप्रार्थीगण नं. 1 च 2 के सींव पर से कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 गरीब महिला है एवं अप्रार्थी संख्या 2 भारतीय सेना में नोकरी करने के कारण उनकी अनुपस्थिति का गलत फायदा उठाकर जबरदस्ती रास्ता कायम करना चाहता है।

प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के खसरा नं. 570 व 576 में मार्क ए से बी के अलावा खसरा नं. 571 में अन्य जाने का रास्ता ना हो बल्कि

सहायक कलक्टर
(ए. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 571 जो प्रार्थी का है उसमें प्रार्थी खसरा नं. 574 की पश्चिमी सींव के पास आता जाता है रास्ता वहां पर चालू है, प्रार्थी ने नजरी नक्शा में अपनी सुविधा के लिए गलत रूप से पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्राथ्रना पत्र गलत तथ्यों, बनावटी व वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी केवल सुविधा के लिए पेश किया गया हे जो गलत है अतः प्रार्थना पत्र धारा 251क खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 570 रकबा 2.9218 हैक्टेयर, खसरा नं. 576 के धोरे के पास–2 आते–जाते रहे है, पिछली बारिश के समय यह रास्ता यह कहकर बंद कर दिया एवं उस पर खेत कर दी। जिससे हमारी फसल की अवेर करना दुभर हो गया। तब हमने खसरा नं. 574 के खातेदार/काश्तकार से निवेदन पर पगडंडी से पैदल ही आ–जा कर फसल अवेरी थी। इस बार की फसल भी खसरा नं. 574 में से पगडंडी के रास्ते के` अवेर की है। अब खसरा नं. 574 के खातेदार/काश्तकार भी उक्त पगडंडी के रास्ते से आने जाने के लिए मना कर रहे है तथा कह रहे है कि आप अपना रास्ता करवाओं हम इधर से नहीं आने देगें। जिसकी ताईद भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट से हो रही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा में वैकल्पिक रास्ता कम से कम 15–16 फीट चौड़ाई में तो होना चाहिऐ ताकि खातेदार काश्तकार ट्रेक्टर ट्रोली/हल इत्यादि ले जा सके। पगडंडी के रास्ते से यह कैसे संभव होगा तथा पगडंडी वैकल्पिक रास्ते की जगह कैसे ले सकती है, जब कृषक/खातेदार कृषि कार्य के लिए अपने खातेदारी खेत में आवश्यक संसाधन ला व ले जा नही सकता है।

इसी प्रकार 251क की मंशानुसार दूसरी शर्त है कि रास्ता न्यूनतम दूरी का हो। प्रार्थी के खातेदारी खेत की दूरी खसरा नं. 570 व 576 से 342 फीट है तथा खसरा नं. 574 से 493 फीट है। अतः नजदीकी रास्ता (कटाणी रास्ता खसरा नं. 207) 570 व 576 से लगता है। साथ ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 571 में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेताय में से माफिक नजरी नक्शानुसार 15 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जावे जिसके एवज में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थी करने को सहमत है।

सहायक कलक्टर
(यू. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, गलत तथ्यों पर, मिथ्या, सारहीन होना बताया तथा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन झूठे व बनावटी है मौके पर बताये गये स्थान पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए नजदीकी रास्ता अंगोर से लगता है प्रार्थी के खातेदारी खेत में जाने का कोई रास्ता खसरा नं. 576 की पश्चिमी माठ पर नही रहा है, आर.आई. हल्का की रिपोर्ट माफिक प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 574 की पश्चिमी माठ पर है। मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता अनुसार खसरा नं. 571 की पूर्वी माठ, खसरा नं. 576 की पश्चिमी माठ एक सीध में होने से प्रार्थी को खसरान नं. 575 के खातेदारी के खेत की उत्तरी पश्चिमी भाग में घुसे बिना या खसरा नं. 570 की पूर्वी दक्षिणी भूमि में प्रवेश किये बिना वांछित रास्ता संभव नहीं है। अप्रार्थी आगे बताया कि मौका रिपोर्ट माफिक खसरा नं. 576 का रास्ता में रकबा 237.71 वर्गमीटर जाने पर अप्रार्थी को खसरा नं. 571 के पूर्वी या उत्तरी माठ पर रास्ता के बदले की भूमि दिया जाना संभव नहीं है, जबकि खसरा नं. 570 के खातेदार को भूमि के बदले भूमि दी जानी संभव है। अप्रार्थी के पास बहुत छोटा रकबा होने से रास्ता में भूमि देने से प्रार्थी खेत में आते जाते नुक्सान कराते हुये अप्रार्थी को परेशान करेगा। मौके पर खसरा नं. 576 का पश्चिमी भाग की माठ आंधिया चलते पूर्व की तरफ खिसक जाने स बिना नाप रास्ता देने से अप्रार्थी मुनियां के खेत में रास्ता कायम हो जायेगा व थौड़ा भाग 570 में बच जाने से अप्रार्थी मुन्नीया को भारी नुक्सान होगा। उक्त प्रकरण खातेदार 575, 570 के द्वारा मिलावट व सहयोग से पेश करना प्रतीत होता है, जो रास्ता खसरा नं. 570 की पूर्वी माठ पर दिया जाना संभव है।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में बताया प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी अपने खातेदारी के 571 में अप्रार्थी नं. 1 व 2 के खेत खसरा नं. 570 व 576 की माठ से होते हुये जाता हो बल्कि प्रार्थी अपने बढेर के खेत खसरा नं. 574 की पश्चिमी माठ के पास होते हुये खसरा नं. 571 में प्रवेश करता है। प्रार्थी का यह वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू है तथा खसरा नं. 574 के दक्षिण तरफ डामर सड़के लगती है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल में वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना तथा चालू होना बताया है। अप्रार्थी की खसरा नं. 570 व 576 आबादी के नजदीकी भूमि है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की रहवासीय के रूप में काम आ रही है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि खेत खसरा नं. 570, 576 के बढेर के हो, अप्रार्थीगण नं. 1 च 2 के सींव पर से कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 गरीब महिला है एवं अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
(ए. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

संख्या 2 भारतीय सेना में नोकरी करने के कारण उनकी अनुपस्थिति का गलत फायदा उठाकर जबरदस्त रास्ता कायम करना चाहता है।

प्रार्थी के खसरा नं. 570 व 576 में मार्क ए से बी के अलावा खसरा नं. 571 में अन्य जाने का रास्ता ना हो बल्कि खसरा नं. 571 जो प्रार्थी का है उसमें प्रार्थी खसरा नं. 574 की पश्चिमी सींव के पास आता जाता है रास्ता वहां पर चालू है, प्रार्थी ने नजरी नक्शा में अपनी सुविधा के लिए गलत रूप से पेश किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में रूलिंग/नजीरें आर.आर.टी. 2018–19 पैज संख्या 342–345 तथा आर.आर.टी. 2016 (1) पैज संख्या 649–651 पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, बनावटी व वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी केवल सुविधा के लिए पेश किया गया हे जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251क खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। वकुलाय अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस में यह आपत्तियां की है कि –

1. प्रथम आपत्ति– प्रार्थी के अपने खातेदारी में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 574 में से पगडंडी के रूप में है जिसकी ताईद भू.अभिलेख रिपोर्ट से होती है कि वैकल्पिक मार्ग पगडंडी के रूप में विद्यमान है।

   उक्त आपत्ति का खण्डन करते हुये दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कहां कि पिछली बारिश के समय खसरा नं. 576 व 570 की सींव का रास्ता इनके काश्तकारों ने बंद कर दिया एवं उस पर खेत कर दी। जिससे हमारी फसल की अवेर करना दुभर हो गया। तब हमने खसरा नं. 574 के खातेदार/काश्तकार से निवेदन पर पगडंडी से पैदल ही आ–जा कर फसल अवेरी थी। अब खसरा नं. 574 के खातेदार/काश्तकार भी उक्त पगडंडी के रास्ते से आने जाने के लिए मना कर रहे है तथा कह रहे है कि आप पहले जिस रास्ते से आवागमन करते थे उसी को अपना रास्ता करवाओं। हम इधर से नहीं आने देगें। पगडंडी वैकल्पिक रास्ते की परिभाषा को पूर्ण कैसे करेगा। क्योंकि इससे न तो ट्रेक्टर, ट्रोली ले जा सकता ना ही अन्य संसाधन ले जा सकते है। रास्ता कम से कम 15–16 फीट चौड़ा तो होना ही चाहिऐ।

   हमारी राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 69–70 की मंशा के अनुरूप पगडण्डी

सहायक कलक्टर
(उ. जी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

वैकल्पिक रास्ते के रूप में विकल्प नहीं हो सकती है क्योंकि इससे काश्त–कृषण हेतु आवश्यक संसाधन यथा– ट्रेक्टर, ट्रोली, हल, छकड़ा इत्यादि नहीं आ जा सकते है। काश्तकार को काश्त–कृषण की असुविधा तो यथावत् ही बनी रहती है। इस प्रकरण में पहले रास्ता बंद किया गया। फिर दूसरी तरफ पगडण्डी से एक फसल अवेरी गई है। अब पगडण्डी काश्तकार भी मना कर रहे है तथा यह कटाणी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पगडण्डी विकल्प का रास्ता नहीं हो सकता है। अतः यह आपत्ति अप्रार्थी के पक्ष में तय नहीं होकर प्रार्थी के पक्ष में तय होती है।

2. द्वितीय आपत्ति यह है कि भूमि के बदले भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिऐ।

उक्त आपत्ति का खण्डन वकील प्रार्थी ने बहस में कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अप्रार्थी के द्वारा की उक्त आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त दोनो आपत्तियां प्रार्थी के पक्ष में तय हुई है। वैकल्पिक रास्ते के बिन्दू को पगडंडी पूर्ण नहीं करती है अर्थात प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 571 रकबा 2.4848 हैक्टैयर में कृषि कार्य हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का अभाव सिद्ध है। इसी प्रकार प्रार्थी के खातेदारी खेत की दूरी खसरा नं. 570 व 576 से 342 फीट है तथा खसरा नं. 574 से 493 फीट है। अतः नजदीकी रास्ता (कटाणी रास्ता खसरा नं. 207) 570 व 576 से 342 फीट का होना मौका रिपोर्ट में विहित है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरे आर.आर.टी. 2018–19 पैज संख्या 342–345 तथा आर.आर.टी. 2016 (1) पैज संख्या 649–651 इस प्रकरण में हुबहु चस्पा नहीं होती है।

अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 571 में कृषि कार्य हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा नं. 570 व 576 में से होने पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) बायतु (बालोतरा)

Scanned with CamScanner

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के ग्राम जायल खेत खसरा नं. 571 के लिए माफिक तहसीलदार जायल के मार्फत भू.अ. निरीक्षक की प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 मे प्रस्तुत नजरीनक्शानुसार ग्राम–जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 570 एवं 576 में से डोटेट के अनुसार रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03/03/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

03/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner

कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

क/भू.अ./2020/3043 दिनांक 14-10-2020

…– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल

शाo निo
15/10/20

…–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने

…य,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण …1/20 अनवान सुरेश बनाम मुनिया देवी वगैरा की जांच …निरिक्षक से करवाई गई,उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम …5 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर …निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज …ग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न …ान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

…न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

14/10/2020
तहसीलदार (भू.अ.) जायल
तहसीलदार (भू०अ०) जायल

Scanned with CamScanner

मौका फर्द

आज दिनांक 28.9.2020 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के धारा 251A राजस्व वाद/प्रार्थना सं. 11/2020 अनुवान सुरेश बनाम मुखिया देवी कोर्ट के आदेश क्रमांक कोर्ट/रीडर/251A/2020/1002 दि. 5/8/20 एवं श्रीमान तहसीलदार सा. जायल के आदेश क्रमांक मु.अ/2020/217 दि. 7.8.20 की पालना में ग्राम जायल के खसरा सं. 571 रकबा 2.4848 हैक्टेयर में आवागमन हेतु वांछित रास्ते का रेकार्ड एवं मौका स्थिति अनुसार वांछित बिन्दुओं की मौका जांच की गई। वादी एवं प्रतिवादी उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया (1) प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, प्रार्थी वर्तमान में ख.न. 574 की पश्चिमी सींव के सहारे पगडंडी से आवागमन करता रहा है। जो कि मौजूदा रास्ता ख.न. 565 से जोड़ता है, जिसकी मौके पर दूरी 493 फीट (150.30 मीटर) है। मौके पर ख.न. 570 की पूर्वी सींव

(2) प्रार्थीगण द्वारा ख.न. 570 की पूर्वी सींव एवं ख.न. 576 की पश्चिमी सींव पर वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जो कि रास्ता ख.न. 207 है एवं वांछित मौजूदा रास्ता ख.न. 207 से रास्ते की दूरी (लम्बाई) 342 फीट अर्थात 104.26 मीटर है। मौके पर रास्ते के निशानात नहीं है।

(3) प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है।

(4) प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते के रूप में 2.28 X 104.26 = 237.71 वर्गमीटर ख.न. 576 में से वांछित ख.न. 570 में से = 11395.91 रुपये तथा ख.न. 576 में से वांछित = 273.71 X 20.82 X2 = 11395.91 रुपये बनती है।
रास्ते की राशि 273.71 X 20.82 X2 = 11395.91 रुपये

नजरी नक्शा

मौका रिपोर्ट मौके पर मौके पर तैयार की जाकर एवं पढ़कर सुनाई गई और उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।

सीताराम

28/9/2020
ई.पट. जायल

28/9/20
भू.अ. जायल

मु. जी

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)